

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जनवरी 2018—पौष 20, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. एफ-बी-04-01-2018-2-पांच (03).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अधीन शासकीय योजनाओं के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा समूह के सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिच्हारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. एफ-बी-04-01-2018-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-01-2018-2-पांच (03), दिनांक 10 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिच्हारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 10th January 2018

No. B-4-01-2018-2-V-(03).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits stamp duty chargeable on the instruments executed under Article 6 of Stamp Schedule 1A by Women self-help groups in favour of banks for securing loan up to 10 Lakh Rupees for economic development of group members under government schemes.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.